



CC 533371

**शपथ-पत्र**

मैं झाबरमल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट निवासी सर्किट हाऊस, खीचड़ों का बास, सीकर का रहने वाला हूँ और हल्फ से बयान करता हूँ कि-

1. यह है कि मैं वर्तमान में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर में अध्यक्ष के पद पर पद स्थापित हूँ।
2. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा ग्रामीण महिला महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है।
3. यह है कि राजस्व ग्राम शिविसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित निम्नांकित भूमि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है-

पुराना खसरा संख्या (Old Khasra No.)	क्षेत्रफल (हेक्टर) (Area in Hectare)	भूमि वर्गीकरण (Land Class)	नया खसरा संख्या (New Khasra No.)	क्षेत्रफल (हेक्टर) (Area in Hectare)	संस्थान द्वारा भूमि उपयोग (Land Use by Institution)
137/2	5.1100	गे.मु.	326/137	5.1100	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/287/2	0.1100	गे.मु.	330/287	0.1100	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/288/1	0.9500	गे.मु.	331/288	0.9500	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/2	0.5000	गे.मु.	332/288	0.5000	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/	0.3500	गे.मु.	333/288	0.3500	स्कूल व अकादमी
कुल खसरे- 5	कुल क्षेत्र- 7.0200		कुल खसरे- 5	कुल क्षेत्र- 7.0200	

मैं हूँ

**अध्यक्ष**

ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति  
सीकर (राज.)



0199  
09/04/2026

श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा  
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा



(श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा)  
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा

श्री

श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा  
नों. नं. 011/1565/29 स्वायं वेक्टर ता. नं. 18/2011  
भारत सरकार, नई दिल्ली, भारत  
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमर शर्मा (पुत्र)



4. यह है कि बिन्दू संख्या 3 में वर्णित भूमि में से ग्रामीण महिला महाविद्यालय के लिये उपलब्ध भूमि एवं भवन के उपयोग एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है-

भूमि एवं भवन	(1) महाविद्यालय के क्षेत्र का विवरण (क) खसरा नं. - 331/288 (137/288/1 आबंटन तिथि) रकबा 9500 वर्ग मी. - 332/288 (137/288/2 आबंटन तिथि) रकबा 5000 वर्ग मी. (ख) कुल क्षेत्रफल - 14500 वर्ग मीटर (ग) निर्मित क्षेत्र (भवन हेतु) - 2372.37 वर्ग मीटर (घ) खुला क्षेत्र - 12127.63 वर्ग मीटर (ङ) कुल निर्मित भवन का क्षेत्रफल - 7454.4 वर्ग मीटर (1) भूतल (ग्राउण्ड फ्लोर) - 2372.37 वर्ग मीटर (2) प्रथम मंजिल - 2372.37 वर्ग मीटर (3) द्वितीय मंजिल - 2372.37 वर्ग मीटर (4) तलघर (अण्डर ग्राउण्ड) - 337.3 वर्ग मीटर
1. भूतल (ग्राउण्ड फ्लोर)	प्राचार्य कक्ष, विभागाध्यक्ष कक्ष, कार्यालय, प्रतीक्षा कक्ष, अतिथि कक्ष, स्टाफ रूम (महिला एवं पुरुष) परीक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएँ {भूगोल, गृह विज्ञान (कौशल विकास व कुकिंग) मनोविज्ञान व रसायनशास्त्र-2}, क्रीड़ा कक्ष, संगीत कक्ष, कक्षा कक्ष, पार्किंग, कैंटीन, स्ट्रॉंग रूम, भंडार कक्ष -4, गार्ड रूम एवं पेयजल, जनरेटर एवं अन्य सुविधाएँ।
1. प्रथम मंजिल	छात्राओं का सामान्य कक्ष (गर्ल्स कॉमन रूम) पुस्तकालय, वाचनालय, स्टाफ रूम (बी.एड.स्टाफ) प्रयोगशालाएँ (कम्प्यूटर विज्ञान, लैंग्वेज लैब, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र-2, बहुउद्देशीय हॉल, भंडार-2, पेयजल व अन्य सुविधाएँ।
2. द्वितीय मंजिल	बी.ए.बी.एड. एव बी. एस.सी. बी. एड. एकिकृत कक्षाओं के कक्षा कक्ष, स्टेडी रूम आर. के. सी. एल. एवं कोटा ऑपन विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सम-सामयिक कोर्स, सेमिनार हॉल एवं इंडोर गेम्स हॉल, पेयजल व अन्य सुविधाएँ।
3. तलघर (अण्डर ग्राउण्ड)	प्रयोगशाला (गणित) एवं कक्षा कक्ष।
4. खुला परिसर (ऑपन स्पेस)	बॉटनिकल गार्डन, खेल मैदान -बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स-माला फेंक, गोला फेंक एवं तश्तरी फेंक) एवं पार्क (उद्यानिकी)-2, किचन गार्डन आदि।

5. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा, सीकर के नाम से एक ही महाविद्यालय संचालित है।
6. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा ग्रामीण महिला पी.जी. महाविद्यालय शिवसिंहपुरा, सीकर के नाम से कोई संस्था संचालित नहीं की जा रही है।
7. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर के पास बिन्दू 3 में वर्णित समस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर राजस्थान सरकार द्वारा किस्म चारागाह से खरिज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (स्कूल, कॉलेजो आदि के लिये) तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आबंटन (नियम 1963 ) एवं इसमें संशोधित अधिसूचना 14.02.1995 के नियम 3 (2) के (ग) के अनुसार ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर को निःशुल्क शैक्षणिक प्रयोजनार्थ चारागाह से सपरिवर्तित कर आवंटित की गई है।
8. यह है कि जिला कलेक्टर सीकर द्वारा भूमि आबंटन के आदेश दिनांक 12.02.1987, 21.05.1994 एवं 18.02.2000 में भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है।
9. यह है कि संस्थान की भूमि से सम्बन्धित जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी हल्का पटवारी कुडली के क्रमांक 526 दिनांक 10.04.2026 जारी की गई है जिसमें भी भूमि को गैर भूमाकन होना स्पष्ट किया है।
10. यह है कि भूमि सपरिवर्तन से सम्बन्धित संस्थान की समस्त भूमि के लिये तहसीलदार सीकर आदेश क्रमांक भू.अ./2026/1555 दिनांक 10.04.2026 से भूमि भवन सम्बन्धी प्रमाण

*ms 7/11*

**अध्यक्ष**

**महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर (राज.)**

**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC**  
**(KARNATAKASTRAN)**

*ms 7/11*

पत्र पुराने व वर्तमान खसरा को इंगित करते हुये संस्थान के भू उपयोग की स्थिति बाबत वस्तुस्थिति का प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है।

*mp/1/1*

शपथग्रहिता

गामीय महिला शिक्षण संस्थान समिति

मैं झाबरमल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट निवासी सर्किट हाऊस, खीचड़ों, सीकर जिला, राजस्थान सीकर सशपथ कथन करता हूं कि शपथ पत्र की बिन्दू संख्या 1 लगायत 10 मेरी जानकारी के अनुसार सत्य व सही है तथा मैंने शपथ पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपया है।

*mp/1/1*

शपथग्रहिता

अध्यक्ष


गामीय महिला शिक्षण संस्थान समिति  
सीकर (राज.)

IDENTIFIED BY ME





NON JUDICIAL



शपथ-पत्र


मैं सुभाग जाखड़ पुत्री श्री रामकरण सिंह पत्नी श्री दिनेश, जाति जाट निवासी-मोहब्बतसरी, जिला-झुन्झुनू की रहने वाली  
तथा सशपथ कथन करती हूँ कि -

1. यह कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, शिवसिंहपुरा, सीकर द्वारा ग्रामीण महिला महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है जिसमें प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हूँ।
2. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा ग्रामीण महिला महाविद्यालय के अलावा अन्य कोई महाविद्यालय अर्थात् ग्रामीण महिला पी.जी. महाविद्यालय के नाम से कोई महाविद्यालय संचालित नहीं हो रहा है।
3. यह है कि ग्रामीण महिला महाविद्यालय राजस्व ग्राम शिवसिंहपुरा, पटवार हल्का कुड़ली, तहसील व जिला सीकर के खसरा नं. 331/288 रकबा 0.95 है 0 एवं 332/288 रकबा 0.50 है 0 कुल किता 2 रकबा 1.4500 है 0 (14500 वर्गमीटर) में अवस्थित है।
4. यह है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर द्वारा महाविद्यालय को जारी की गई सम्बद्धता आदेश (2024-25) में सहवन/त्रुटि से ग्रामीण महिला पी.जी. महाविद्यालय अंकित कर दिया गया था जिसका संशोधन उनके आदेश क्रमांक 28458 दिनांक 08.01.2025 से किया जा चुका है।
5. यह है कि महाविद्यालय द्वारा NCTE के निर्धारित मापदण्डानुसार भवन निर्मित है तथा भवन में कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, बहुउद्देशीय हॉल व सेमीनार हॉल, प्रयोगशालायें, खेल मैदान एवं अन्य सुविधायें समुचित रूप से उपलब्ध है।
6. यह है कि महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक सदस्यों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा वेतनमान निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार कार्मिकों को वेतनमान के अनुरूप संस्थान द्वारा वेतन भुगतान किया जा रहा है।

  
PRINCIPAL

GRAMIN MAHILA MAHAVIDYALAYA  
SHIVSINGHPURA, SIKAR 332024

मैं सुभाग जाखड़ पुत्री श्री रामकरण सिंह पत्नी श्री दिनेश, जाति जाट निवासी-मोहब्बतसरी, जिला-झुन्झुनू कि  
शपथ पत्र की विन्डू संख्या 1 लगायत 6 मेरी जानकारी के अनुसार सत्य व सही है तथा मैंने शपथ पत्र में कोई  
तथ्य नहीं छिपया है।

  
बयानकर्ता

PRINCIPAL

GRAMIN MAHILA MAHAVIDYALAYA  
SHIVSINGHPURA, SIKAR 332024

ATTESTED


13 APR 2024

NOTARY PUBLIC  
SIKAR (RAJASTHAN)



064  
13-4-2026

सुभाषा जगदिस पुत्री रामकरो सिंह पत्नी श्री दिनेश, जालि-जाट निवासी-मोहनपुरी  
जिला- सुन्डुबरी (रा.प.)

  
सावरमल पुत्र श्री भगवानारायण  
स्टाम्प वण्डन अग्रवाल पत्र सं. 43/98  
पुस्तक विक्रय मंडल, जालि-जाट, सीकर  
-शारदापुरा, पंजाब प्रदेश, जिला-मोहनपुरी  
मोबा.सं. 9845175222